



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102023-249619
CG-DL-E-21102023-249619

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719]
No. 719]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945

भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाजार विनियमन विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 16 अक्टूबर, 2023

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2023

सं.फेमा.396(2)/2023-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं फेमा.396/2019-आरबी दिनांक 17 अक्टूबर, 2019) (इसके पश्चात इसे 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्: -

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन

- (i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2023 कहा जाएगा।
(ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. मूल विनियमावली की अनुसूची 1 में संशोधन

- (i) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ द के बाद, निम्नलिखित नया उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“ई. विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियमन 7(1) के अनुसार रुपया खाता रखने वाले भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को अनुमति

भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियमन 7 (1) के अनुसार रुपया खाता रखते हैं, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों / ट्रेजरी बिलों की खरीद या बिक्री कर सकते हैं।”

(ii) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 2 में, खंड (4) के बाद निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(4ए) इस अनुसूची के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ई) के अनुसार भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेजरी बिलों की खरीद के लिए अनुरक्षित/रखे गए राशि का भुगतान विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियमन 7 (1) के अनुसार उनके रुपये के खाते में धारित निधियों द्वारा किया जाएगा।

(iii) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 4 में, खंड (2) के बाद निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(2ए) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2016 के विनियमन 7(1) के अनुसार रुपया खाता रखने वाले भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा धारित लिखतों की बिक्री/परिपक्वता लाभ (निवल कर, यथा लागू हो) उक्त रुपया खाते में जमा की जाएगी।

डिम्पल भांडिया, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./501/2023-24]

फुटनोट: मूल विनियमावली शासकीय राजपत्र में दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 को जी.एस.आर. सं. 796 (ई) के तहत भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किया गया था और निम्नानुसार संशोधित किया गया:

1. अधिसूचना सं. फेमा 396 (1)/2021-आरबी [विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021] दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 को भारत के राजपत्र [असाधारण, भाग III-धारा 4] में, राजपत्र आईडी सीजी-एमएच-ई-21102021-230591 दिनांक 21.10.2021 के माध्यम से प्रकाशित।

RESERVE BANK OF INDIA

(Financial Markets Regulation Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th October, 2023

Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Second Amendment) Regulations, 2023

No. FEMA.396(2)/2023-RB.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 (Notification No. FEMA.396/2019-RB dated October 17, 2019) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation'), namely:-

1. Short title and commencement

- (i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Second Amendment) Regulations, 2023.
- (ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Schedule 1 to the Principal Regulation

- (i) In paragraph 1 of Schedule 1 to the Principal Regulation, after sub-paragraph D, the following new sub-paragraph shall be inserted:-

“E. Permission to persons resident outside India maintaining rupee account in terms of regulation 7(1) of Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016

Persons resident outside India that maintain a rupee account in terms of regulation 7(1) of Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 may purchase or sell dated Government Securities/treasury bills, as per terms and conditions specified by the Reserve Bank.”

(ii) In paragraph 2 of Schedule 1 to the Principal Regulation, after clause (4) the following new clause shall be inserted: -

“(4A) The amount of consideration for purchase of dated Government Securities/treasury bills by persons resident outside India in terms of sub-paragraph (E) of paragraph 1 of this Schedule shall be paid out of funds held in their rupee account maintained in terms of regulation 7(1) of Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.”

(iii) In paragraph 4 of Schedule 1 to the Principal Regulation, after clause (2) the following new clause shall be inserted: -

“(2A) The sale/ maturity proceeds (net of taxes, as applicable) of instruments held by persons resident outside India that maintain a rupee account in terms of regulation 7(1) of Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016 shall be credited to the said rupee account.”

DIMPLE BHANDIA, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./501/2023-24]

Foot Note : The Principal Regulation was published in the Official Gazette vide G.S.R.No.796(E) dated October 17, 2019 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and amended, *vide*:

1. Notification no. FEMA 396(1)/2021-RB [Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (First Amendment) Regulations, 2021] dated October 13, 2021 published in the Gazette of India [Extraordinary, Part III–Section 4], *vide* Gazette ID CG-MH-E-21102021-230591 dated 21.10.2021.